न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 2026/03

01 मदनलाल शर्मा पुत्र बालकराम जाति ब्राह्मण निवासी सेक्टर नं0 41 ए चंडीगढ़ हाल चक केवाईडी बी तहः खाजूवाला जिला बीकानेर ......प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :—03.02.26**

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी व भाई के नाम से चक 6 केवाईडी मु0नं0 175/51 के किला नं0 2 ता 9, 11, 12 ता 19, 20, 21, 22 ता 25 तादादी 5.7408 हैक्टर संयुक्त खाता में बतौर विरासतन दर्ज रिकॉर्ड है और तब से लेकर आजतक प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त ह एवं ढ़ाणी बनाकर सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रहा है। यही उसके जीविकोपार्जन का साधन है। पिता के फौत पश्चात विरासतन इंतकाल सं0 20 दर्ज हुआ तो पिता का नाम बालकराम ही दर्ज हुआ इसके बाद ऑनलाईन के वक्त पिता का नाम बालकनाथ दर्ज हो गया जबकि हिमाचल के सभी दस्तावेजों में पिता का नाम बालकराम ही है तथा प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में बालकराम दर्ज है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेज यथा आधारकार्ड, पेनकार्ड, जनआधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र में बालकराम दर्ज रहा उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवा संशोधित नाम दर्ज करवाना चाहता है। उक्त सभी दस्तावेज संलग्न पत्रावली है। रिकॉर्ड में बालकनाथ होने की वजह से प्रार्थी सरकार वितीय सहायता और किसान कार्ड नहीं बना पा रहा है क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में बालकनाथ है और अन्य रिकॉर्ड में बालकराम है जिसके जरिये रिकॉर्ड दुरूस्ती कर रिकॉर्ड में बालकनाथ को हटाकर बालकराम दर्ज करवाकर प्रार्थी खातेदार दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी है। अतः प्रार्थनापत्र पेशकर अर्ज है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार कर रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता के पुराने नाम बालकनाथ को हटाकर बालकराम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। अतः प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट को पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि राजस्व तहसील खाजूवाला की के पटवार हल्का 8 केवाईडी का चक 6 केवाईडी बी मु0नं0 175/51 में 5.7408 हैक्टर के राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कर विरासतन इंतकाल सं0 20 में हम प्रार्थी के पिता का नाम बालकनाथ की जगह बालकराम करने के आदेश करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, इंतकाल, वारिस प्रमाणपत्र, आवंटन रसीद, एवार्ड रसीद आदि की प्रति प्रस्तुत की है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत आवंटन रसीद, वारिसनामा में प्रार्थी के पिता का नाम बालकराम अंकित है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र साक्ष्य—सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 6 केवाईडी मु0नं0 175/51 के किला नं0 2 ता 9, 11, 12 ता 19, 20, 21, 22 ता 25 तादादी 5.7408 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम बालकनाथ की जगह बालकराम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी के पिता का नाम बालकनाथ नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का बालकनाथ नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी के पिता का नाम बालकनाथ ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं की जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 03.02.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)